ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310

पत्रांक ः ग्रेटर नोएडा /सम्पत्ति/चैकलिस्ट/2017
दिनांक : 28/12//2017

Allotment No.	-	BHS12-
Type	-	Flats
Flat Size	-	29.76 Sqm.
Flat No	-	.....
Block	-	....
Sector	-	MU-02

सेवा में,

विषय : BHS16 योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन की लीज डीड निष्पादित कराने के सबंध में।

महोदय/महोदया,

BHS16 योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित उपरोक्त भवन की लीजडीड ब्रोशर के क्लॉज/शर्त एन के अनुसार निम्न औपचारिक्ताऐं/प्रपत्र/शपथ पत्र पूर्ण करते हुये लीजडीड निष्पादित कराना सुनिश्चित करें :–

1. आवंटी को लीजडीड की प्रति प्राधिकरण से प्राप्त करनी होगी। आवंटी स्वयं भी प्राधिकरण की वेबसाईट www.greaternoidaauthority.in से लीजडीड प्रपत्र के प्रारूप एवं KYA FORM को डाउनलोड कर सकते है।
2. लीजडीड से पूर्व प्राधिकरण में आवंटी को भुगतान की स्थिति अवश्य प्राप्त करना होगा।आवंटी द्वारा यदि समस्त देयता का भुगतान किया जा चुका है तो उन समस्त जमा चालानों की छायाप्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत करते हुए रिकार्ड को अपडेट कराना होगा।
3. जिन आंवटियों द्वारा Agreement to Lease का निष्पादन करा लिया है, उन सभी आवंटियों को सब रजिस्टार कार्यालय से स्टाम्प की गणना कराकर स्टाम्प पेपर सहित लीजडीड प्रस्तुत करना होगा।
4. लीजडीड कराने हेतु आवंटी स्वहस्ताक्षरित 5 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ व दो हस्ताक्षर व दो व्यस्क गवाह एवं गवाहों के 3–3 फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र की प्रति स्वहस्ताक्षरित प्रस्तुत करने होगे।
5. जिन आवंटियो द्वारा भवन के सापेक्ष किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के पक्ष में प्राधिकरण से लियन पत्र प्राप्त किया गया है उन सभी को लीजडीड कराने से पूर्व बैंक के पक्ष में जारी लियन पत्र के सापेक्ष लीजडीड कराने हेतु बैंक से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।
6. किसी भी प्रकार वाद–विवाद/मोर्टगेज/देय आदि के संबंध में रू0 10/के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. सब रजिस्टार गौतम बुद्व नगर से स्टाम्प की गणना कराकर स्टाम्प पेपर कय करते हुए लीजडीड प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करनी होगें। स्टाम्प पेपर की अधिकता एवं कमी में प्राधिकरण कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी. जिला - गौतमबुद्व नगर – 201310

पत्रांक ः ग्रेटर नोएडा /सम्पत्ति/चैकलिस्ट/2017
दिनांक : 28/12//2017

8. लीजडीड मे प्रस्तुत गवाहों की उपस्थिति सब रजिस्टार कार्यालय में दर्ज की जाती है। अतः लीजडीड निष्पादन हेतु आवंटी अथवा उसका प्रतिनिधि ही व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग में उपस्थित होगा।

9. रुपये 20,050/नकद लीजडीड के समय सब रजिस्ट्रार कार्यालय में नकद जमा करने होगे। (इस राशि की पुष्टि हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालय गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें) यह धनराशि सब रजिस्ट्रार कार्यालय मे ंजमा की जायेगी।

10. लीजडीड कराने हेतु निर्धारित शुल्कों को लीजडीड कराये जाने से पूर्व निम्नानुसार जमा कराना होगाः–

क्र.स.	भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण	भुगतान की जाने वाली देय धनराशि रू0	18 प्रतिशत जीएसटी	कुल देय धनराशि	धनराशि जमा किये जाने का प्रकार
1.	भवन की बढी हुयी कीमत	42500.00+ 42500.00 (दो समान किश्तों में)	देय नहीं है।	85000.00	अ– प्रथम किश्त चेकलिस्ट जारी किये जाने की तिथि से 6 माह के भीतर जमा कराना होगा। ब– द्वितीय किश्त चेक लिस्ट जारी किये जाने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर जमा कराना होगा।
2.	लीजरेन्ट भूतल	22200.00	3996.00	26196.00	जारी चेकलिस्ट तिथि से लीजडीड कराये जाने से पूर्व
3	प्रथम,द्वितीय व तृतीय तल	11100.00	1998.00	13098.00	जारी चेकलिस्ट तिथि से लीजडीड कराये जाने से पूर्व
4.	वाटर सीवर चार्जेज	7570.00	1363.00	8933.00	जारी चेकलिस्ट तिथि से लीजडीड कराये जाने से पूर्व
5	डाक्यूमेंटस चार्जेज	500.00	90.00	590.00	जारी चेकलिस्ट तिथि से लीजडीड कराये जाने से पूर्व

- बीएचएस16 आवासीय योजना के अन्तर्गत सेक्टर–म्यू–2 में आवंटित भवनों के सापेक्ष जमा की जाने वाली समस्त प्रकार की धनराशि का भुगतान ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स,जगत फार्म, सेक्टर–गामा–1,ग्रेटर नोएडा के खाता संख्या–**8981132000224** में कराना सुनिश्चत करें।

कृपया उपरोक्तानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए पत्र के जारी होने की तिथि से 06 माह के अन्दर उक्त भवन की लीज डीड निष्पादित कराना सुनिश्चित करें यदि आप इस अवधि में भवन की लीज डीड निष्पादित कराने में असफल रहते है तो ब्रोशर में उल्लिखित शर्त के अनुसार भवन के कुल मूल्य का 01 प्रतिशत धनराशि अर्थदण्ड के रूप में लेते हुए 01 वर्ष की समयवृद्धि प्रदान की जायेगी।

प्रबन्धक (सम्पत्ति)